



2026:AHC:181227

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 32109 वर्ष 2026

शमीर अहमद एवं एक अन्य आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर उत्तर प्रदेश राज्य एवं 1 अन्य विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : दीनानाथ

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 79

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन दिनांक 11.10.2023 की आरोप-पत्र तथा दिनांक 01.11.2023 के संज्ञान/समन आदेश को निरस्त किए जाने तथा केस क्राइम संख्या 165 सन् 2023 (राज्य बनाम समीर अहमद एवं अन्य), धारा 406, 420, 506 भा.दं.सं., थाना-पुरामुफ्ती, जनपद प्रयागराज से उत्पन्न सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो विद्वान विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के न्यायालय में लंबित है।
3. आवेदकगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आरोप-पत्र के साथ-साथ संज्ञान/समन आदेश तथा वर्तमान मामले की सम्पूर्ण कार्यवाही को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, जो 2024 10 एससीसी 690 में रिपोर्टेड है, के मामले में निर्धारित विधि के अनुसार धारा 420 एवं 406 भा.दं.सं. एक ही सांस में साथ-साथ लागू नहीं हो सकती हैं। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश को नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:

"38. हमारे विचार में, परिवाद को साधारण रूप से पढ़ने पर ऊपर उल्लिखित किसी भी तत्व का उल्लेख नहीं होता है। हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि पुलिस तथा अधीनस्थ न्यायालयों के मन में विधि की एक गंभीर भांति को दूर करने के दृष्टिकोण से, यदि परिवादी का यह मामला है कि अभियुक्त द्वारा धारा 405 भा.दं.सं. में परिभाषित तथा धारा 406 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया गया है, तो उसी सांस में यह नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 भा.दं.सं. में परिभाषित एवं स्पष्ट किए गए तथा धारा 420 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय छल के अपराध को भी कारित किया है।"

41. मात्र संविदा के उल्लंघन तथा आपराधिक न्यासभंग एवं छल के अपराध के बीच अंतर सूक्ष्म है। छल के मामले में, उत्प्रेरण के समय अभियुक्त की मंशा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसका आकलन बाद के आचरण से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बाद का आचरण ही एकमात्र परीक्षण नहीं है। मात्र संविदा का उल्लंघन छल के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता, जब तक कि लेन-देन के प्रारंभ से ही अर्थात् उस समय से जब अपराध किया जाना कहा गया है, कपटपूर्ण या बेईमान मंशा प्रदर्शित न हो। अतः यही मंशा अपराध का सार है।"

43. आपराधिक न्यासभंग और छल के बीच अंतर है। छल के लिए झूठा या भ्रामक प्रतिपादन किए जाने के समय अर्थात् प्रारंभ से ही आपराधिक मंशा आवश्यक है। आपराधिक न्यासभंग में केवल सुपुर्दगी का प्रमाण पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक न्यासभंग के मामले में अपराधी को संपत्ति विधिपूर्वक सौंपी गई होती है और उसने बेईमानी से उसका दुरुपयोग किया होता है। जबकि छल के मामले में अपराधी किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसे किसी संपत्ति को सौंपने के लिए कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में दोनों अपराध एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



55. अब समय आ गया है कि पूरे देश में पुलिस अधिकारियों को विधि में उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे छल के अपराध और आपराधिक न्यासभंग के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र और पृथक हैं। तथ्यों के एक ही समूह में दोनों अपराध एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते। वे एक-दूसरे के प्रतिकूल हैं। भा.दं.सं. के दोनों प्रावधान (अब बी.एन.एस., 2023) ऐसे जुड़वां नहीं हैं कि एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते।"

4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किंतु आवेदकगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस सुस्थापित विधिक सिद्धांत पर भरोसा किया गया है, उसका खंडन करने में असमर्थ रहे।
5. चूंकि आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्क विधिक प्रश्न पर आधारित हैं, अतः विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं है।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, मामले के अभिलेख तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय का अवलोकन करने के पश्चात यह पूर्णतः स्पष्ट है कि दोनों धाराएं अर्थात् धारा 420 एवं 406 भा.दं.सं. एक ही सांस में साथ-साथ लागू नहीं हो सकती हैं और इस प्रकार दिनांक 01.11.2023 का संज्ञान/समन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (सुप्रा) के मामले में निर्णय दिनांक 23.08.2024 को पारित किया गया है और वर्तमान मामले में अपराध का संज्ञान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 01.11.2023 को लिया गया था, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कनिष्क सिन्हा और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य [2025 SCC Online SC 443] के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सदैव पूर्वव्यापी प्रकृति का होगा, जब तक कि स्वयं निर्णय में विशेष रूप से यह न कहा गया हो कि निर्णय भावी रूप से प्रभावी होगा।

7. उपर्युक्त के दृष्टिगत, केस क्राइम संख्या 165 सन् 2023 (राज्य बनाम समीर अहमद एवं अन्य), धारा 406, 420, 506 भा.दं.सं., थाना-पुरामुफ्ती, जनपद प्रयागराज से उत्पन्न मामले में, जो विद्वान विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के न्यायालय में लंबित है, दिनांक 01.11.2023 को पारित संज्ञान/समन आदेश निरस्त किया जाता है। मामला संबंधित विद्वान न्यायालय को इस हेतु वापस भेजा जाता है कि यदि आवश्यक हो तो दिल्ली रेस क्लब (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के आलोक में अपराध का संज्ञान लेने के संबंध में नया आदेश पारित किया जाए।
8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से स्वीकृत किया जाता है।

31 अगस्त, 2026

विवेक कु.

(सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।